UTTAR PRADESH SHASAN

PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor, is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 16/2019/1365 /XXX-4-2019-8(24)/2010, dated 21 August, 2019.

Notification

No. 16/2019/1365/XXX-4-2019-8(24)/2010

Lucknow: Dated 21 August, 2019

In exercise of the powers under section-3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997(U.P. Act no. 21 of 1997) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 to 1904) the Governor is pleased to make the following amendment in the Government Notification no.19/2016/524/XXX-4-2016-8(24)/2010, dated July 06, 2016:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification for the words ''till three years from the date of issuance of this notification" the words and figures "till July 05, 2022" shall be substituted.

By order

(Arvind Kumar)
Principal Sectretary
Transport Department.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4

संख्या: 16/2019/1365/तीस-4-2019-8(24)/2010
लखनऊ :दिनांक 21 अगस्त, 2019

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-19/2016/524/तीस-4-2016-8(24)/2010, दिनांक 06 जुलाई 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : -

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में शब्द "इस अधिसूचना के निर्गत होने के दिनांक से तीन वर्ष तक" के स्थान पर शब्द और अंक "05 जुलाई 2022 तक " रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:16/2019/1365/तीस-4-2019-8(24)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आश्य के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 21 अगस्त, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या: 16(2)/2019/1365/तीस-4-2019-8(24)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- अध्यक्ष, पं0 रामप्रकाश (गंगाजल वाले बाबा) श्री गिरिराज महाराज नि:शुल्क जल सेवा समिति, निकट दानघाटी मंदिर, गोवर्धन धाम, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।